



# झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची-834009, झारखण्ड, भारत  
RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India  
E-mail: [jspcranchi@gmail.com](mailto:jspcranchi@gmail.com) Tele-Fax: -0651-2972681



(Constituted by the Department of Health, Medical Education & Family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no-7(A)/Paramed.-11-09/09-356(TA)/Ranchi, Dated 17.9.2010)

डॉ. कृष्ण कुमार  
निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह  
अध्यक्ष  
Dr. Krishna Kumar  
Director in Chief,  
Health Services, Jharkhand cum  
Chairman

प्रो. डॉ. विवेक कश्यप  
पीएसएम विभाग,  
रिम्स, राँची सह  
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी  
निदेशक  
Prof. Dr. Vivek Kashyap  
PSM Dept.  
RIMS, Ranchi cum  
Member Secretary &  
Executive Director

प्रो. डॉ. डी के सिन्हा  
शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह  
परीक्षा नियंत्रक  
Prof. Dr. D K Sinha  
Surgery Dept. RIMS,  
Ranchi cum  
Examination Controller

प्रो. डॉ. आर के गुप्ता  
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह  
शैक्षणिक समन्वयक  
Prof. Dr. R K Gupta  
Dept. of Ophthalmology  
RIMS, Ranchi cum  
Academic Coordinator

डॉ. एम. दीपक लकड़ा  
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह  
निबंधक  
Dr. M. Deepak Lakra  
Dept. of Ophthalmology  
RIMS, Ranchi cum  
Registrar

सं.सं.-पारा.मेडि. 04/2011..... 184 राँची, दिनांक 07/09/2022

## कार्यालय आदेश

दिनांक 24/08/2022 को सम्पन्न शासी परिषद की बैठक में लिये गये निम्न निर्णय को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

- वैसे पारामेडिकल संस्थानों (अपना अस्पताल वाले संस्थानों को छोड़कर) में जिन पाठ्यक्रमों के स्वीकृत सीटों के विरुद्ध विगत दो वर्षों से लगातार पाँच प्रशिक्षणार्थी से कम नामांकन होता हो, उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम की मान्यता तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाती है।
- दिनांक 24/08/2022 के बाद नये पारामेडिकल संस्थान खोलने के लिये निम्न प्रकार जमीन का मानक निर्धारित किया जाता है  
शहरी क्षेत्र - 25,000 Sq Feet (न्यूनतम)  
ग्रामीण क्षेत्र - 50,000 Sq Feet (न्यूनतम)
- झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउन्सिल में निबंधित प्रशिक्षणार्थी जो दूसरे राज्य में निबंधन हेतु NOC निर्गत किये जाने का आवेदन देते हैं तो उसका शुल्क रु 2000/- निर्धारित किया जाता है।
- आई.पी.एच. राँची एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग से प्रशिक्षित B.Sc. Community Health का निबंधन पारामेडिकल काउन्सिल में तत्काल प्रभाव से किया जायेगा।
- सरकारी अस्पतालों में पारामेडिकल संस्थानों के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रति 100 बेड पर एक पारामेडिकल संस्थान को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, और नये पारामेडिकल संस्थान खोले जाने की स्थिति में यही मान्य होगा।
- शासी परिषद के सभी सदस्य राज्य में स्थित सभी पारामेडिकल संस्थानों का निरीक्षण/औचक निरीक्षण कर सकेंगे।

ज्ञापांक 184 पारा.मेडि. 04/2011 राँची, दिनांक 07/09/2022  
प्रतिलिपि:- सरकार के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य वि.शि. एवं प.क.विभाग, झारखण्ड राँची/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- संयोजक, राजकीय पारामेडिकल संस्थान रिम्स, राँची/ शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/ एम.जी.एम.एम.सी.एच., जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सभी गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सदस्य सचिव)

(सदस्य सचिव)